No.Fin(LA)H(2)(C)(15)(14)309/2016-1 -1869-1872
Government of Himachal Pradesh,
State Audit Department.

From

The Director,
Himachal Pradesh State Audit Department,
Shimla-171009,

To

The Director,
Hospitality and Protocol Department,
Shimla-171002

Dated,... Shimla-171009, the,... 29 MAR 2025

Subject:- ***Audit and Inspection Report on the accounts of special Audit of Himachal Bhawan Chandigarh for the period 01.04.2020 to 31.03.2024***

Sir,

I am to forward herewith the audit report on the accounts of special audit of ***Himachal Bhawan Chandigarh*** for the period 01.04.2020 to 31.03.2024 for taking further necessary action at your end.

Yours faithfully,

(Saurabh Jassal)IAS
Director,
H.P. State Audit Department,
Shimla-171009.
PH: 0177-2621855

Ensl: As above.

Endst.No.as above,... Shimla-171009, the... 29 MAR 2025
Copy forwarded to:-

1 The P.A. to the Secretary (GAD) to the Government of Himachal Pradesh for information and necessary action.
2 The Managing Director, HPTDCL, The RITZ near Church Shimla-01 for information and necessary action.
3 The Deputy Secretary-cum-Committee Officer, Local Fund Accounts Committee, H.P. Vidhan Sabha Shimla-04 for information.
4 DGM, Himachal Bhawan, Madhya Marg, Sector 28B-160002 Chandigarh.

(Saurabh Jassal)IAS
Director,
H.P. State Audit Department,
Shimla-171009.

हिमाचल भवन चंडीगढ़ के लेखाओं का विशेष अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.04.2020 से 31.03.2024

भाग-क

1 **(क) प्रस्तावना :-** हिमाचल भवन चंडीगढ़ की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला-171002 के पत्र संख्या: Hosp.F(9)-1/2020-216 दिनांक 02, मार्च 2023 द्वारा हिमाचल भवन चंडीगढ़ के लेखाओं का विशेष अंकेक्षण का कार्य निदेशक, हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के कारण हिमाचल भवन चंडीगढ़ के अवधि 1.04.2020 से 31.03.2024 तक के लेखाओं का विशेष अंकेक्षण, हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

(ख) हिमाचल भवन का संचालन :- सामान्य प्रशासन विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या No.GAD-D-7(G)1-4/2004-L_V0L.II Dated 29-7-2021 के अनुसार हिमाचल भवन चंडीगढ़ का संचालन अर्ध वाणिज्यक उपक्रम के रूप में किया जायेगा। हिमाचल भवन चंडीगढ़ में उक्त अधिसूचना के अनुसार कुल 46 कमरे उपलब्ध हैं। जिनमें से 22 कमरों का आरक्षण हिमाचल प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग शिमला-2 के पास विहित है। शेष 24 कमरों व अन्य स्थल का आरक्षण हिमाचल प्रदेश प्रर्यटन विकास कारपोरेशन लिमिटेड के पास विहित था। तदोपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या No.GAD-D-7(G)1-4/2004-L_V0L.II Dated 16-10-2021 के अनुसार हिमाचल भवन चंडीगढ़ में उपलब्ध कुल 46 कमरों में से 33 कमरों का आरक्षण हिमाचल प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग शिमला-2 के पास विहित है व शेष 13 कमरों व अन्य स्थल का आरक्षण हिमाचल प्रदेश प्रर्यटन विकास कारपोरेशन लिमिटेड के पास विहित है।

(ग) आय के मुख्य साधन :- हिमाचल भवन चंडीगढ़ के आय के मुख्य साधन निम्नानुसार हैं।

(1) ठहरने हेतु कमरों की बुकिंग करने पर किराये से प्राप्त आय

(2) जलपान व खानपान सुविधा देने के फलस्वरूप प्राप्त आय

(3) परिसर में मौजूद दो हालों को किराये पर देने से प्राप्त आय

(घ) आहरण एवं संवितरण अधिकारी :-

अंकेक्षण अवधि के दौरान हिमाचल भवन चंडीगढ़ में निम्नलिखित अधिकारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी रहे:-

क्रम संख्या	नियंत्रण व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री अनिल कपूर(डी.जी.एम.)	1.04.2020 से 31.03.2024

(ङ) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

हिमाचल भवन चंडीगढ़ के लेखाओं अवधि 1.04.2020 से 31.03.2024 तक के विशेष अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	गंभीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹) (लाखों में)
1	4 (क) (ii)	दिनांक 31.03.24 को वित्तीय स्थिति व बैंक खातों में अन्तर	4.41
2	4 (ख)	वित्तीय विवरणी के अनुसार वित्तीय घाटा	423
3	8	आय व व्यय में संतुलन न रखने के कारण व्यय का आय पर आधिक्य	740
4	9	नवीकरण हेतु प्राप्त अनुदान को व्यय न करना	5
5	11	कर्मचारियों के वेतन, मजदूरी व वकाया वेतन एवं भत्तों की भुगतान हेतु शेष राशि	111
6	12	मुख्यालय/ अन्तर इकाई की देयता राशि भुगतान हेतु शेष	315
7	13	विविध लेनदारों की देयता राशि भुगतान हेतु शेष	27
8	14	विविध देनदारों से वसूली न करना	5
9	15	श्री अशोक ठाकुर व ट्रेंड्ज़ (Trendz) से वसूली न करना	2

भाग-दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

हिमाचल भवन चंडीगढ़ के अवधि 1.04.2020 से 31.03.2024 तक के लेखाओं का विशेष अंकेक्षण श्री राज कुमार, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक 02.12.2024 से 15.12.2024 व 31.12.2024 से 24.01.2025 व श्री सुशील कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 02.12.2024 से 13.12.2024 व 31.12.2024 से 24.01.2025 तक हिमाचल भवन चंडीगढ़ में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

आय:- 01/2021, 01/2022, 03/2023 व 01/2024

व्यय:- 03/2021, 03/2022, 03/2023 व 03/2024

अस्वीकरण (Disclaimer) :- प्रमाणित किया जाता है कि हिमाचल भवन चंडीगढ़ के विशेष अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण सहायक महा-प्रबन्धक हिमाचल भवन चंडीगढ़ द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत/अधूरी सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई के कारण विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा अंकेक्षण की जिम्मेवारी केवल चयनित माह तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

हिमाचल भवन चंडीगढ़ के 1.04.2020 से 31.03.2024 तक के लेखाओं के विशेष अंकेक्षण का अंकेक्षण शुल्क ₹53600/-आँका गया। सहायक महा प्रबन्धक हिमाचल भवन चण्डीगढ़ से सहायक नियन्त्रक की अंकेक्षण अधियाचना संख्या– 518 दिनांक 23.01.2025 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-171009 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु अनुरोध किया गया। जिसके प्रतियुत्तर में सहायक महा

प्रबन्धक हिमाचल भवन चंडीगढ़ के पत्र संख्या- 755 दिनांक 23.01.2025 के अंतर्गत निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग से अंकेक्षण शुल्क में छूट प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया गया, कि हिमाचल भवन चंडीगढ़ इकाई वित्तीय घाटे में चल रही है। इसलिए हिमाचल भवन चंडीगढ़ अंकेक्षण शुल्क अदा करने बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए।

4 **(क) वित्तीय स्थिति:-**

(i) हिमाचल भवन चंडीगढ़ द्वारा अवधि 1.04.2020 से 31.03.2024 तक रोकड़ बही तैयार नहीं की गई थी। टैली सॉफ्टवेयर की Multi Column रोकड़ बही की प्रविष्टियों के अनुसार वित्तीय स्थिति निम्नलिखित प्रकार से है। जिसका विवरण **परिशिष्ट –"क"** पर भी दिया गया है

हिमाचल भवन चंडीगढ़ की अवधि 1.04.2020 से 31.03.2024 तक की वित्तीय स्थिति

वित्तीय वर्ष	आरंभिक शेष (₹)	आय (₹)	हि० प्र० पर्यटन विकास निगम शिमला से हस्तांतरित राशि (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹)
2020-21	692054.00	13639315.00	18855000.00	0.00	33186369.00	32385224.00	801145.00
2021-22	801145.00	25736930.00	11150000.00	0.00	37688075.00	37362776.18	325298.82
2022-23	325298.82	41058757.19	5770000.00	0.00	47154056.01	45449887.83	1704168.18
2023-24	1704168.18	47790463.21	18660489.00	0.00	68155120.39	67417123.00	737997.39

नोट:- दिनांक 1.04.2020 को आरंभिक शेष Multi Column रोकड़ बही के रोकड़ व बैंक कॉलम से ₹692054.00 (1017+691037) उठाया गया है।

दिनांक 31.03.2024 को Multi Column रोकड़ बही में दर्ज किए गये विभिन्न बैंकों के अनुसार अंतिम शेष:-

क्रम संख्या	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि (₹)
1	42571337544	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, सेक्टर -7 सी चंडीगढ़	104832.60

2	42498731543	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, सेक्टर -7 सी चंडीगढ़	696310
3	113	इंडियन ओवरसीज बैंक, सेक्टर 28 – बी, चंडीगढ़	-64162.21
		योग	**736980.39**
जमा	दिनांक 31.03.23 को Multi column रोकड़ बही के अंतिम शेष ₹1704168.18 (रोकड़ ₹1017+ बैंक ₹1703151.18) की जगह दिनांक 1.04.23 को आरंभिक शेष बैंक ₹1703151.18 उठाने के कारण कम शेष दर्ज करना		1017
दिनांक 31.03.24 को वित्तीय स्थिति के अनुसार अंतिम शेष			**737997.39**

दिनाकं 31.03.24 को हिमाचल भवन चंडीगढ़ के बैंक खातों में शेष व हस्तगत रोकड़ का विवरण निम्नानुसार है।

क्रम संख्या	खाता संख्या	बैंक का नाम	खाता का प्रकार	राशि (₹)
1	42571337544	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, सेक्टर-7, चंडीगढ़	चालू खाता	0
2	42498731543	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया सेक्टर 7, चंडीगढ़	चालू खाता	1027237
3	113	इंडियन ओवरसीज बैंक सेक्टर 28 बी, चंडीगढ़ (चालू खाता दिनांक 31.03.24 को बन्द कर दिया गया था)	चालू खाता	0
हस्तगत रोकड़ (दिनांक 31.03.24 के तुलनपत्र अनुसार)				**151985**
			योग	**1179222**
अन्तर (1179222-737997.39)				**441224.61**

(ii) दिनांक 31.03.24 को वित्तीय स्थिति व बैंक खातों में अन्तर ₹441224.61:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हिमाचल भवन चंडीगढ़ में दिनांक 31.03.24 को वित्तीय स्थिति व बैंक खातों में ₹441224.61 का अन्तर है । जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

दिनांक 31.03.24 को वित्तीय स्थिति के अनुसार अंतिम शेष (₹)	**737997.39**
दिनांक 31.03.2024 को बैंक खातों के अनुसार अंतिम शेष (₹)	1027237
हस्तगत रोकड़ (₹)	151985
विभिन्न बैंकों व हस्तगत रोकड़ का योग (1027237+151985) (₹)	**1179222**
अन्तर (1179222-737997.39) (₹)	**441224.61**

उपरोक्त उल्लेखित अन्तर का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 514 दिनांक 18.01.25 के अंतर्गत सहायक महा प्रबंधक हिमाचल भवन चड़ीगढ़ के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके जिसके प्रतियुत्तर में सहायक महा प्रबन्धक हिमाचल भवन चंडीगढ़ के पत्र संख्या: CHB/Bank/ 2017-TDC-753 दिनांक 22.01.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि दिनांक 31.03.24 को प्राप्त होने वाली आय को बुक कर दिया गया है व अन्तर की राशि माह 04/2024 में जमा हो गई है । उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि अन्तर की राशि को माह 04/2024 में जमा करवाने से सम्बन्धित अभिलेख न तो अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया व न ही बैंक समाधान विवरणी तैयार की गई। अतः अंतर की राशि का मिलान किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) आय –व्यय विवरणी के अनुसार वित्तीय घाटा ₹42251855.61 :-

हिमाचल भवन चंडीगढ़ द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर हिमाचल भवन चंडीगढ़ के अवधि 1.04.2020 से 31.03.2024 तक की आय –व्यय विवरणी के अनुसार वित्तीय घाटे का विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विवरण **परिशिष्ट –"ख"** पर भी दिया गया है तथा Balance Sheet ख-1 पर संलग्न है :-

वित्तीय वर्ष	आरंभिक शेष (हानि) (₹)	आय (₹)	अनुदान से प्राप्त आय (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (शुद्ध हानि (₹)
2020-21	-23878444.24	12874731	33069000	37488	22102774.76	39462565.33	-17359790.57
2021-22	-17359790.57	26266367	0	17158	8923734.43	44820869.55	-35897135.12
2022-23	-35897135.12	40003969	17418000	0	21524833.88	56663379.67	-35138545.79
2023-24	-35138545.79	45404892	5000000	71763	15338109.21	57589964.82	-42251855.61

अन्तिम शेष/वित्तीय घाटा:- आय – व्यय विवरणी व तुलनपत्र के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक हिमाचल भवन चंडीगढ़ का वित्तीय घाटा / शुद्ध हानि ₹42251855.61 थी।

हिमाचल भवन चड़ीगढ़ के वित्तीय घाटे का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 490 दिनांक 3.01.25 के अंतर्गत सहायक महा प्रबन्धक, हिमाचल भवन चंडीगढ़ के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में सहायक महा प्रबन्धक हिमाचल भवन चंडीगढ़ के पत्र संख्या: CHB/Bank/2017-TDC-749 दिनांक 15.01.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि हिमाचल भवन चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के नियंत्रण में है व हिमाचल भवन का उद्देश्य लाभ कमाना न होकर लोगों को सुविधा प्रदान करना है। हिमाचल भवन चंडीगढ़ की आय का मुख्य स्त्रोत कमरों का किराया है। कमरों का किराया काफी कम है व कमरों में जरुरी सुविधाएं प्रदान करने का व्यय अधिक है। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि हिमाचल भवन का आय का मुख्य स्त्रोत कमरों का किराया न होकर हाल को किराये पर देने से प्राप्त होने वाली वाली आय है व अत्याधिक व्यय के कारण अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों की अदायगी है। अतः हिमाचल भवन चड़ीगढ़ के वित्तीय घाटे को कम करने के लिए निम्न उल्लेखित सुझावों की अनुपालना की जानी नितांत आवश्यक है।

(ग) वित्तीय घाटे के कारण:- हिमाचल भवन चंडीगढ़ की आय –व्यय विवरणी व तुलनपत्र में दर्शाए गए घाटे के मुख्य कारण निम्नलिखित प्रकार से हैं।

(1) हिमाचल भवन चंडीगढ़ द्वारा संस्थापना (अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों) पर अत्यधिक व्यय करना।

(2) हिमाचल भवन चंडीगढ़ द्वारा आय की तुलना में अत्याधिक व्यय करना (व्यय का आय पर आधिक्य/ प्रतिवर्ष आय से अधिक व्यय करना)।

(3) हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास कारपोरेशन लिमिटेड के पास अत्याधिक कम केवल13 कमरों व अन्य स्थल का व्यवसायिक गतिविधियों हेतु उपलब्ध होना ।

(4) गत वर्षों में हिमाचल प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित कमरों का किराया अत्याधिक कम होना।

(घ) वित्तीय घाटे को कम करने हेतु सुझाव :-

हिमाचल भवन चंडीगढ़ की आय –व्यय विवरणी व तुलनपत्र में दर्शाए गए घाटे को कम करने हेतु निम्नलिखित सुझावों की संस्तुति की जाती है ।

(1) हिमाचल भवन चंडीगढ़ द्वारा अपना संस्थापना व्यय (अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों) कुल आय के 50% भाग तक सीमित किया जाना :-

हिमाचल भवन चंडीगढ़ के संस्थापना व्यय (अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों) का आय पर वर्षवार तुलनात्मक विवरणनिम्नलिखित प्रकार से है :-

Sr. No.	Head	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	Pay and allowances	20347180	20877958	22020089	23613020
2	Outsources wages	4443315	5102856	6855628	7731539
	Total	**24790495**	**25980814**	**28875717**	**31344559**
	Income	**12874731**	**26266367**	**40003969**	**45404892**
	% of establishment expenditure as compare to income	**192.55%**	**98.91%**	**72.18%**	**69.03%**

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि हिमाचल भवन चंडीगढ़ की आय का अत्याधिक हिस्सा संस्थापना व्यय (अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों) पर ही व्यय हो रहा है। अतः हिमाचल भवन चंडीगढ़ द्वारा अपना संस्थापना व्यय (अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों) कुल आय के 50% भाग तक सीमित किया जाये।

(2) हिमाचल भवन चंडीगढ़ द्वारा प्रतिवर्ष आय से अधिक व्यय करने पर अंकुश लगाना:-हिमाचल भवन चंडीगढ़ के अवधि 1.04.2020 से 31.03.24 तक आय-व्यय व वित्तीय घाटे का तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

Yearwise comparative statement of Income of Himachal Bhawan Chandigarh

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
Grand Total of Income	35235124	12874731	26266367	40003969	45404892
Year on year increase/ decrease in income		-22360393	13391636	13737602	5400923
Year on year %age increase/ decrease in income		-63.46%	104.01%	52.30%	13.50%

Yearwise comparative statement of Expenditure of Himachal Bhawan Chandigarh

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
Grand Total of Expenditure	45885580	39462565	44820870	56663380	57589965
Year on year increase/ decrease in expenditure		-6423015	5358305	11842510	926585
Year on year %age increase/ decrease in expenditure		-13.99%	13.58%	26.42%	1.64%

Yearwise comparative statement of Deficit of Himachal Bhawan Chandigarh

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
Annual Deficit	23878444	17359791	35897135	35138546	42251855
Year on year increase/ decrease in deficit		-6518653	18537344	-758589	7113309
Year on year %age increase/ decrease in deficit		-27.30%	106.78%	-2.11%	-20.24%

यद्यपि हिमाचल भवन चंडीगढ़ के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण 04/2020 से आरम्भ किया गया था तदापि उपरोक्त सारणियों में वर्ष 2019-20 के आंकड़े सन्दर्भ तथा निरन्तरता हेतु दर्शाए गये हैं। विश्लेक्षण हेतु वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 के आंकड़ों को अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है क्योंकि इस अवधि कोविड-19 महामारी के कारण समस्त व्यवस्था चरमरा चुकी थी। उपरोक्त उल्लेखित आंकड़ों का विश्लेषण स्पष्ट करता है कि जहां एक ओर तो वर्ष दर वर्ष आय में निरन्तर वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी तरफ व्यय में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2023-24 में आय में 13.50% व व्यय में 1.64% की तुलनात्मक वृद्धि हुई है। इस सुधार का प्रमुख कारक तो जून 2023 में अतिथियों से वसूल किए जाने वाले किराये तथा भोजन की दरों में वृद्धि तथा दो हालों का अधिकतर साल भर किराये पर दिया जाना है तदापि आंकड़ों का वर्षवार विशेल्षण हिमाचल भवन चंडीगढ़ के परिचालन कार्यकुशलता में आंशिक सुधार को भी इन्गित करता है। अतः हिमाचल भवन चंडीगढ़ द्वारा प्रतिवर्ष आय से अधिक व्यय करने पर अंकुश लगाया जाये।

(4) हिमाचल भवन चंडीगढ़ के कुल 46 कमरों में से 23 कमरों का आरक्षण हिमाचल प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के पास व शेष 23 कमरों व अन्य स्थल का आरक्षण वाणिज्यक उपक्रम के रूप में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाये:-

सचिव, हिमाचल प्रशासन विभाग, शिमला के पत्र संख्या GAD-D-7(G)-1-4/2004-vol.II दिनांक 16.10.2021 के अंतर्गत हिमाचल भवन चंडीगढ़ के कुल 46 कमरों में से 33

कमरों का आरक्षण हिमाचल प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के पास व शेष 13 कमरों व अन्य स्थल का आरक्षण वाणिज्यक उपक्रम के रूप में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाता है। हिमाचल भवन चंडीगढ़ को हिमाचल प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग तथा हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास कारपोरेशन द्वारा किराये पर दिए गये कमरों से प्राप्त आय का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	समान्य प्रशासन विभाग द्वारा बुकिंग किए गये कमरों की संख्या	कमरों बुकिंग से प्राप्त आय (₹)	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा आरक्षित कमरों की संख्या	कमरों बुकिंग से प्राप्त आय (₹)
1	2020-21	2668	1328677	3042	7767632
2	2021-22	5822	3005777	3925	9681064
3	2022-23	7598	4022175	3335	8838912
4	2023-24	7338	7972800	3308	8158717

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रशासन विभाग द्वारा बुकिंग किए गये कमरों की तुलना में हिमाचल प्रदेश प्रर्यटन विकास कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बुकिंग किए गये कमरों से लगभग दोगुनी आय प्राप्त हुई थी। अतः हिमाचल भवन चंडीगढ़ के कुल 46 कमरों में से 23 कमरों का आरक्षण हिमाचल प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के पास व शेष 23 कमरों व अन्य स्थल का आरक्षण वाणिज्यक उपक्रम के रूप में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाये, ताकि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास कारपोरेशन लिमिटेड व्यवसायिक गतिविधियों से अधिक आय अर्जित कर सके।

(5) हिमाचल प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित कमरों के किराये की दरों में न्यूनतम 25% की वृद्धि की जाए:-

प्रधान सचिव, हिमाचल प्रशासन विभाग शिमला के पत्र संख्या GAD-D-(C)17-5/2018 दिनांक 2.06.2023 व महा प्रबंधक हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

के पत्र संख्या MKT(M)11/2019 दिनांक 22.03.2019 के अंतर्गत कमरों की निम्नलिखित दरें निर्धारित की गई थी।

क्रम संख्या	**कमरों का प्रकार**	**हिमाचल प्रशासन विभाग शिमला द्वारा निर्धारित कमरे की दरें (प्रति दिन) (₹)**	**हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा निर्धारित कमरे की दरें (प्रति दिन) (₹)**	**हिमाचल प्रशासन विभाग की दरों की तुलना में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की दर प्रतिशतता%**
1	DVR Deluxe A/C	1200	2490	107.50%
2	DBR Super Deluxe	1200	3900	225%
3	Family suit A/C	1200	3500	191.67%

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट प्रतीत होता है कि हिमाचल भवन चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आरक्षित कमरों की दरों की तुलना में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा आरक्षित कमरों की दरें दोगुने से भी अधिक है। अतः हिमाचल प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित कमरों के किराये की दरों में न्यूनतम 25% की वृद्धि की जाये ताकि घाटे को कम किया जा सके।

(6) हिमाचन भवन चंडीगढ़ के दो हालों को सालभर किराये पर देने के कारण प्रति वर्ष लगभग दो करोड़ रूपए की अतिरिक्त आय :-

(i) हिमाचन भवन चंडीगढ़ के प्रदर्शनी हेतु किराये पर दिए जाने वाले दो हाल आय के मुख्य स्त्रोत है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हिमाचल भवन चंडीगढ़ के दो हालों को प्रदर्शनी हेतु किराये पर देने के कारण निम्न विवरणानुसार आय प्राप्त हुई थी।

क्रम संख्या	**हाल संख्या**	**वित्तीय वर्ष**	**जितने दिन हाल किराये पर रहा**	**हाल को किराये पर देने हेतु प्राप्त आय (₹)**	**पूरा वर्ष 365 दिन हाल को किराये पर देने हेतु प्राप्त हो सकने वाली आय (₹)**	**जितनी आय अधिक प्राप्त हो सकती थी (₹)**
1	1	2022-23	155 दिन	11658720	27454405	15795685
	2	2022-23	191 दिन	5995010	11456432	5461422
			योग	**17653730**	**38910837**	**21257107**

2	1	2023-24	164 दिन	12160320	27064127	14903807
	2	2023-24	210 दिन	6400310	11124348	4724038
			योग	**18560630**	**38188475**	**19627845**

उपरोक्त सारणी के आधार पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि यदि हिमाचल भवन चंडीगढ़ के दोनों हालों को पूरा वर्ष किराये पर दिया जाए, तो हिमाचल भवन चंडीगढ़ को प्रति वर्ष लगभग दो करोड़ की अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती थी। अतः अंकेक्षण के सुझावानुसार हिमाचल भवन चंडीगढ़ के दोनों हालों को पूरा वर्ष किराये पर देने हेतु विस्तृत प्रचार प्रसार करके खुली बोली द्वारा अधिकतम बोलीदाता को अनुबन्ध के आधार पर किराये पर दिया जाए, ताकि हिमाचल भवन चंडीगढ़ को प्रति वर्ष लगभग दो करोड़ की अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके व हिमाचल भवन आत्मनिर्भर होने के साथ - साथ वित्तीय घाटा भी समाप्त हो सके।

(ii) हिमाचल भवन चंडीगढ़ में स्थित दो हालों प्रदर्शनी हेतु किराये पर देने की दरें उप महा प्रबंधक (विपणन) हिमाचल प्रदेश पयर्टन विकास निगम लिमिटेड शिमला द्वारा दिनांक 16.03.2013 को संशोधित करके हाल-1 ₹80000 प्रति दिन व वस्तु एवं सेवा कर अतिरिक्त व हाल-2 ₹35000 प्रति दिन व वस्तु एवं सेवा कर अतिरिक्त निर्धारित की गई थी। लेकिन लगभग 12 वर्ष व्यतीत हो जाने उपरांत भी किराये पर देने हेतु दोनों हालों की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई। अतः हिमाचल भवन चंडीगढ़ के किराये पर देने हेतु दोनों हालों की दरें संशोधित करके वृद्धि की जाए, ताकि हिमाचल भवन चंडीगढ़ को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

(7) हिमाचल भवन चंडीगढ़ में सोलर पॉवर प्लांटों को समय पर स्थापित न करने के कारण बिजली बिल के रूप में ₹8424664 हो सकने वाली बचत की हानि :-

मुख्य अभियन्ता (व्यावसायिक) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला के पत्र संख्या –HPSEBL/ CE (Comm.)/SERC-14/2015-16-12365-81 दिनांक 18.01.2016 के अनुसार Rooftop solar PV Grid Intractive System based on Net Metering, 2015 लगाए जाने हेतु निर्देश जारी किए गये थे। उक्त पत्र के अंतर्गत हिमाचल भवन चंडीगढ़ में Rooftop solar PV Grid Intractive System based on Net

Metering, 2015 लगाया जाना अपेक्षित था। ताकि बिजली बिल के रूप में लाखों रूपए की बचत हो सके। सहायक महाप्रबंधक हिमाचल भवन चड़ीगढ़ के पत्र संख्या: CHB/ Bank/ 2017-TDC-752 दिनांक 21.01.2025 के अनुसार अंकेक्षण को निम्नलिखित सूचना प्रदान की गई।

(i) हिमाचल भवन चंडीगढ़ द्वारा अवधि 1.04.2020 से 31.03.2024 तक बिजली बिल के रूप में बिजली विभाग को निम्नलिखित ₹8424664 का भुगतान किया गया।

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**बिजली बिल के रूप में भुगतान की गई राशि (₹)**
1	2020-21	1633619
2	2021-22	2297916
3	2022-23	2270618
4	2023-24	2222511
	योग	**8424664**

(ii) उक्त पत्र के अंतर्गत प्रदान की गई सूचना के अनुसार हिमाचल भवन चंडीगढ़ के भवन की छत पर दो सोलर पॉवर सिस्टम प्लांट लगाये गये हैं। जिनमें से एक भवन की छत पर स्थित (पानी गर्म करने वाला) सोलर पॉवर सिस्टम प्लांट वर्ष 2000 में हिम ऊर्जा विभाग द्वारा स्थापित किया गया था। जोकि वर्ष 2017 से चलन में नहीं है व पानी गर्म करने वाले सोलर पॉवर सिस्टम प्लांट को प्रतिस्थापित (On Byback mode of old system) करने हेतु उच्च अधिकारियों को पत्र संख्या CHB-Pur/101/2019-20 दिनांक 19.01.2021 के अंतर्गत प्रस्ताव भेजा गया था लेकिन तीन वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी उक्त सोलर पॉवर सिस्टम प्लांट को प्रतिस्थापित करने हेतु निर्देश जारी नहीं किए गये।

हिमाचल भवन की छत पर दूसरा सोलर पॉवर प्लांट 75 Kwp हिम ऊर्जा विभाग द्वारा हाल ही में स्थापित किया गया है। जो अभी चलन में नहीं है। हिमाचल भवन चंडीगढ़ की बिजली के लोड की क्षमता लगभग 300 Kwp है व हिमाचल भवन की छत पर हिम ऊर्जा विभाग द्वारा केवल 75 Kwp सोलर पॉवर प्लांट स्थापित किया गया है। अतः हिमाचल भवन

चंडीगढ़ में लगभग 300 Kwp अथवा भवन की छत की अधिकतम क्षमतानुसार सोलर पॉवर प्लांट स्थापित करने हेतु प्रयास किया जाए।

उपरोक्त उल्लेखित भवन की छत पर स्थित दोनों सोलर पॉवर प्लांटों को यथा समय क्रियाशील/ चलन में न लाने के कारण हिमाचल भवन चंडीगढ़ को अवधि 1.04.2020 से 31.03.2024 तक के दौरान बिजली बिल के रूप में ₹8424664 की आय की बचत हो सकती थी। अतः हिमाचल भवन चंडीगढ़ में हिम ऊर्जा विभाग द्वारा भवन की छत पर स्थित सोलर पॉवर प्लांट 75 Kwp व पानी गर्म करने वाले सोलर पॉवर प्लांट को शीघ्र अति शीघ्र चलन में लाया जाए, ताकि प्रति वर्ष बिजली बिल के रूप में लाखों रूपए की आय की बचत हो सके।

(8) हिमाचल भवन चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश विपणन एवं उत्पाद निगम (एच पी एम सी) व हिमाचल हैण्डलूम व हेंडीक्राफ्ट निगम के बूथ किराये पर प्रदान करना :-

हिमाचल प्रदेश के उत्पादों के संवर्धन एवं विपणन (Promtion and marketing) हेतु हिमाचल भवन चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश विपणन एवं उत्पाद निगम (एच पी एम सी) व हिमाचल हैण्डलूम व हेंडीक्राफ्ट निगम के बूथ किराये पर दिए जा सकते है। जिससे एक तरफ हिमाचल भवन चंडीगढ़ को किराये के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती है वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के उत्पादों के संवर्धन एवं विपणन (Promtion and marketing) को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। अतः हिमाचल भवन चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश विपणन एवं उत्पाद निगम (एच पी एम सी) व हिमाचल हैण्डलूम व हेंडीक्राफ्ट निगम के बूथ पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरांत किराये पर दिए जाएं। ताकि हिमाचल भवन चंडीगढ़ को किराये के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके व हिमाचल प्रदेश के उत्पादों के संवर्धन एवं विपणन (Promtion and marketing) को भी प्रोत्साहित किया जा सके।

(9) हिमाचल भवन चंडीगढ़ में खान-पान की दरों में न्यूनतम 25% की वृद्धि की जाए:-

हिमाचल भवन चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आरक्षित कमरों में ठहरने वाले अतिथियों के खान-पान की दरें दिनांक 26.04.2023 को संशोधित की

थी। जोकि हिमाचल भवन चंडीगढ़ के खान-पान गृह में खान-पान (व्यावसायिक) की दरों की अपेक्षा लगभग दोगुने से भी कम है। हिमाचल प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग व हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्धारित खान-पान गृह में खान-पान की दरों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित प्रकार से हैं।

क्रम संख्या	मद का नाम	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्धारित दरें (व्यावसायिक)	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित दरें	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की दरों की तुलना सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित दरें जितने प्रतिशत कम है
1	चाय	35	15	133%
2	शाकाहारी सूप	80	45	77.78%
3	रोटी	20	10	100%
4	कॉफ़ी प्लेन	70	25	180%

अतः हिमाचल भवन चंडीगढ़ में खान-पान की दरों में संशोधन न्यूनतम 25% की वृद्धि का मामला हिमाचल प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है।

5 अवधि 1.04.2020 से 31.03.2024 तक हिमाचल भवन चंडीगढ़ की रोकड़ बही का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास कारपोरेशन लिमिटेड के लेखांकन मैन्युअल के नियम 2.5 के अनुसार हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा दोहरा लेखा पद्धति को अपनाया जाना था। लेखाकन मैन्युअल के नियम 3 .2.1 के अनुसार रोकड़ बही का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित था। लेखांकन के सिद्धान्तों के अनुसार रोकड़ बही का रख-रखाव दो तरह से किया जा सकता है।

(i) एकल लेखा पद्धति के अनुसार

(ii) दोहरा लेखा पद्धति के अनुसार

हिमाचल भवन चंडीगढ़ के लेखाओं के अवलोकन पर पाया गया कि अवधि 1.04.2020 से 31.03.2024 तक के दौरान की रोकड़ बही लेखाकन मैन्युअल के नियम 3 .2.1 के अनुसार दोहरा लेखा पद्धति के अंतर्गत तैयार नहीं की गई थी। हिमाचल भवन चंडीगढ़ की रोकड़ बही तैयार न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या–478 दिनांक 6.12.2024 के अंतर्गत सहायक महाप्रबंधक हिमाचल भवन चंडीगढ़ के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में सहायक महा प्रबन्धक हिमाचल भवन चंडीगढ़ के पत्र संख्या: CHB/Bank/2017-TDC-749 दिनांक 15.01.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि हिमाचल भवन दोहरी लेखा पद्धति के अनुसार लेखा खाते तैयार किए हैं। उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि अवधि 1.04.2020 से 31.03.2024 तक की रोकड़ बही तैयार नहीं की गई थी केवल टैली सॉफ्टवेयर में प्रविष्टियाँ की गई थी। अतः उक्त अवधि की रोकड़ बही लेखाकन मैन्युअल के नियम 3.2.1 के अनुसार दोहरा लेखा पद्धति के अंतर्गत तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में रोकड़ बही का रख-रखाव लेखांकन मैन्युअल के नियम 3 .2.1 के अनुसार दोहरा लेखा पद्धति के अंतर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 सावधिक निवेश:-

हिमाचल भवन चंडीगढ़ द्वारा अवधि 1.04.2000 से 31.03.2024 तक सावधिक निवेश के अंतर्गत कोई भी राशि निवेशित नहीं की गई थी।

7 बजट तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास कारपोरेशन लिमिटेड के लेखाकन मैन्युअल के चैप्टर 9 के अनुसार हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास कारपोरेशन लिमिटेड की प्रत्येक यूनिट द्वारा प्रति वर्ष बजट तैयार करना अनिवार्य है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हिमाचल भवन चंडीगढ़ द्वारा अवधि 1.04.2020 से 31.03.2024 तक प्रति वर्ष बजट तैयार नहीं किया गया था। हिमाचल भवन चंडीगढ़ का बजट तैयार न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 477 दिनांक 6.12.2024 के अंतर्गत सहायक महाप्रबंधक हिमाचल भवन चंडीगढ़

के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में सहायक महा प्रबन्धक हिमाचल भवन चंडीगढ़ के पत्र संख्या: CHB/Bank/2017-TDC-749 दिनांक 15.01.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 का बजट मुख्यालय को अनुमोदन हेतु भेजा गया है। उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के बजट को मुख्यालय में भेजने से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास कारपोरेशन लिमिटेड के लेखांकन मैन्युअल के चैप्टर 9 के अनुसार बजट तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। भविष्य में प्रत्येक वित्तीय वर्ष आरम्भ होने से पूर्व बजट तैयार किया जाना व सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में व्यय बजट के अनुसार ही किया ~~किया~~ जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 आय व व्यय में संतुलन न रखने के कारण व्यय का आय पर आधिक्य ₹73986820.37:-

सहायक महाप्रबंधक हिमाचल भवन चंडीगढ़ द्वारा अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना, आय व व्यय खातों (income and expenditure account) के अवलोकन पर पाया गया कि अवधि 1.04.20 से 31.03.24 तक के दौरान हिमाचल भवन चंडीगढ़ द्वारा आय की तुलना में अत्याधिक व्यय किया गया था। जिसका वर्षवार विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय (₹)	व्यय (₹)	व्यय का आय पर आधिक्य(₹)
1	2020-21	12874731	39462565.33	26587834.33
2	2021-22	26266367	44820869.55	18554502.55
3	2022-23	40003969	56663379.67	16659410.67
4	2023-24	45404892	57589964.82	12185072.82
	योग	**124549959**	**198536779.37**	**73986820.37**

हिमाचल भवन चंडीगढ़ द्वारा अवधि 1.04.2020 से 31.03.2024 तक आय व व्यय में संतुलन/ समंजस्य न रखने के कारण दिनांक 31.03.2024 तक व्यय का आय पर ₹73986820.37 आधिक्य है। जोकि अत्यन्त चिन्ताजनक है। हिमाचल भवन चंडीगढ़ द्वारा आय व व्यय में संतुलन/ समंजस्य न रखने के कारण का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 476 दिनांक 6.12.2024 के अंतर्गत सहायक महाप्रबंधक हिमाचल भवन चंडीगढ़ के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में सहायक महा प्रबन्धक हिमाचल भवन चंडीगढ़ के पत्र संख्या: CHB/Bank/2017-TDC-749 दिनांक 15.01.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि हिमाचल भवन चंडीगढ़ का नियंत्रण हिमाचल प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग शिमला के पास विहित है व भवन का उद्देश्य लाभ कमाना न होकर लोगों को रहने की सुविधा प्रदान करना है। भवन में कमरों का किराया बहुत कम है। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि हिमाचल भवन में केवल कमरों के किराये के अतिरिक्त अन्य आय के स्त्रोत भी हैं। अतः अवधि 1.04.2020 से 31.03.2024 तक आय व व्यय में संतुलन/ समंजस्य न रखने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में आय से अधिक व्यय करने से निश्चित तौर पर परिहार किया जाए, ताकि आय व व्यय में संतुलन स्थापित किया जा सके।

9 नवीकरण हेतु प्राप्त अनुदान (Grant for renovation) राशि ₹500000/को व्यय न करना :-

सहायक महाप्रबंधक हिमाचल भवन चंडीगढ़ द्वारा अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना, तुलन पत्र (Balance Sheet) के अवलोकन पर पाया गया कि तुलनपत्र के दायित्व पक्ष में नवीकरण हेतु अनुदान (Grant for renovation) दिनांक 31.03.24 तक निम्नविवरणानुसार ₹500000 व्यय हेतु शेष थी ।

क्रम संख्या	दायित्व का नाम	वित्तीय वर्ष			
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	नवीकरण हेतु अनुदान (Grant for renovation)	500000	500000	500000	500000

नवीकरण हेतु प्राप्त अनुदान राशि को व्यय न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 475 दिनांक 6.12.2024 के अंतर्गत सहायक महाप्रबंधक हिमाचल भवन चंडीगढ़ के ध्यानार्थ लाया गया।

जिसके प्रतियुत्तर में सहायक महा प्रबन्धक हिमाचल भवन चंडीगढ़ के पत्र संख्या: CHB/Bank/ 2017-TDC-749 दिनांक 15.01.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि नवीनीकरण हेतु प्राप्त अनुदान राशि की पड़ताल करके हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम मुख्यालय से पत्राचार किया जाएगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः नवीकरण हेतु प्राप्त अनुदान (Grant for renovation) राशि ₹500000 को यथासमय उपयोग न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व जिस कार्य हेतु अनुदान राशि प्राप्त हुई है, उसी कार्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) उक्त अनुदान राशि किस उद्देश्य हेतु व कब प्राप्त हुई थी, का विवरण अंकेक्षण दल द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 475 दिनांक 6.12.2024 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रपत्र पर प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया था।

क्रम संख्या	अनुदान प्राप्त करने की तिथि	विभाग का नाम	स्वीकृति पत्र संख्या	कार्य का नाम	राशि	समय अवधि

लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उपरोक्त उल्लेखित सूचना प्रदान नहीं की गई। जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित सूचना तैयार करके अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

10 वैधानिक देयता (Statutory Liability) ₹182224 का भुगतान न करना :-

सहायक महाप्रबंधक हिमाचल भवन चंडीगढ़ द्वारा अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना, तुलन पत्र (Balance Sheet) के अवलोकन पर पाया गया कि तुलनपत्र के दायित्व पक्ष में वैधानिक देयता (Statutory Liability) दिनांक 31.03.24 तक निम्नविवरणानुसार ₹182224 अदत्त थी।

क्रम संख्या	दायित्व का नाम	वित्तीय वर्ष			
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	वैधानिक देयता (Statutory Liability)	238390	106395	315309	182224

वैधानिक देयता का भुगतान न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 474 दिनांक 6.12.2024 के अंतर्गत सहायक महाप्रबंधक हिमाचल भवन चंडीगढ़ के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में सहायक महा प्रबन्धक हिमाचल भवन चंडीगढ़ के पत्र संख्या: CHB/Bank/2017-TDC-749 दिनांक 15.01.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि उक्त वैधानिक देयता करों की राशि को माह 04/2024 के दौरान सम्बन्धित विभागों में जमा करवा दिया गया है। अतः वैधानिक देयता (Statutory Liability) का यथासमय भुगतान न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में वैधानिक देयताओं (Statutory Liability) का भुगतान यथासमय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 कर्मचारियों के वेतन, मजदूरी व वेतन एवं भत्तों की बकाया राशि भुगतान हेतु शेष (Outstanding amount of salary, wages and arrears due to employees) ₹11095537/-

सहायक महाप्रबंधक हिमाचल भवन चंडीगढ़ द्वारा अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना, तुलन पत्र (Balance Sheet) के अवलोकन पर पाया गया कि तुलनपत्र के दायित्व पक्ष में कर्मचारियों के वेतन, मजदूरी व वकाया वेतन एवं भत्तों की राशि (Outstanding amount of salary, wages and arrears due to employees) दिनांक 31.03.24 तक निम्नविवरणानुसार ₹11095537 अदत्त थी ।

क्रम संख्या	दायित्व का नाम	वित्तीय वर्ष			
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	कर्मचारियों के वेतन, मजदूरी व वेतन एवं भत्तों की बकाया राशि अदत्त	5979683	6919177	8198782	11095537

उपरोक्त उल्लेखित दिनांक 31.03.24 तक कर्मचारियों के वेतन, मजदूरी व बकाया वेतन एवं भत्तों के रूप में अदत्त राशि का भुगतान न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 473 दिनांक 6.12.2024 के अंतर्गत सहायक महाप्रबंधक हिमाचल भवन चंडीगढ़ के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में सहायक महा प्रबन्धक हिमाचल भवन चंडीगढ़ के पत्र संख्या: CHB/Bank/2017-TDC-749 दिनांक 15.01.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि माह मार्च/2024 के देय वेतन की अदायगी माह अप्रैल/2024 में की गई है व कर्मचारियों की अन्य देयता राशि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम मुख्यालय से जारी करने उपरांत भुगतान कर दिया जायेगा। अतः कर्मचारियों के वेतन, मजदूरी व वेतन एवं भत्तों की बकाया अदत्त राशि (Outstanding amount of salary, wages and arrears due to employees) को यथासमय भुगतान न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में कर्मचारियों के वेतन, मजदूरी व बकाया वेतन एवं भत्तों के रूप में अदत्त राशि का भुगतान यथासमय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) कर्मचारियों के वेतन, मजदूरी व वेतन एवं भत्तों की बकाया राशि किस-किस कर्मचारी की व किस- किस अवधि की भुगतान हेतु शेष थी, का विवरण निम्नलिखित प्रपत्र पर अंकेक्षण दल द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 474 दिनांक 6.12.2024 के अंतर्गत प्रदान करने हेतु सहायक महाप्रबंधक हिमाचल भवन चंडीगढ़ से अनुरोध किया गया।

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम व पदनाम	देयता की अवधि	देयता का प्रकार	राशि (₹)

लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त सूचना निर्धारित प्रपत्र अनुसार प्रदान नहीं की गई। जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित सूचना अंकेक्षण में प्रदान की जानी सुनिश्चित की जाए।

12 मुख्यालय/ अन्तर इकाई (Head office/Inter Unit) की देयता राशि भुगतान हेतु शेष ₹31452816/-

सहायक महाप्रबंधक हिमाचल भवन चंडीगढ़ द्वारा अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना, तुलन पत्र (Balance Sheet) के अवलोकन पर पाया गया कि तुलनपत्र के देयता पक्ष में

मुख्यालय/अन्तर इकाई (Head office/ Inter Unit) की देयता अवधि 1.04.20 से 31.03.24 तक निम्न विवरणानुसार ₹31452816.01 शेष थी ।

क्रम संख्या	देयता का नाम	वित्तीय वर्ष			
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	मुख्यालय/ अन्तर ईकाई (Head office/ Inter Unit	12625476.47	30432450	27647996	31452816

उपरोक्त उल्लेखित दिनांक 31.03.24 तक मुख्यालय/अन्तर ईकाई (Head office/ Inter Unit) की देयता राशि का भुगतान यथासमय न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 494 दिनांक 6.12.2024 के अंतर्गत सहायक महाप्रबंधक हिमाचल भवन चंडीगढ़ के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में सहायक महा प्रबन्धक हिमाचल भवन चंडीगढ़ के पत्र संख्या: CHB/Bank/2017-TDC-749 दिनांक 15.01.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि हिमाचल भवन चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग शिमला का नियन्त्रण है व हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालन किया जा रहा है । हिमाचल भवन चंडीगढ़ के दिन - प्रतिदिन के खर्चों की अपेक्षा आय कम है व वेतन एवं अन्य बिलों के नियमित भुगतान के खर्चों हेतु मुख्यालय हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा राशि हस्तांतरित की जाती है। जिस कारण मुख्यालय की देयता राशि शेष है । उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि मुख्यालय/अन्तर इकाई (Head office/Inter Unit) की देयता राशि को भुगतान हेतु क्या कार्यवाही अमल में लाई गई, से सम्बन्धित कोई भी सूचना अंकेक्षण को प्रदान नहीं की गई । अतः उपरोक्त उल्लेखित दिनांक 31.03.24 तक मुख्यालय/अन्तर ईकाई (Head office/Inter Unit) की देयता राशि ₹31452816 को यथासमय भुगतान न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त देयता के भुगतान हेतु क्या कार्यवाही अमल में लाई जा रही है, से भी इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) मुख्यालय/अन्तर ईकाई (Head office/Inter Unit) की अवधि 1.04.2020 से पूर्व के वर्षों की देयता राशि का वर्षवार विवरण भी इस विभाग को प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 विविध लेनदारों (Sundry Creditors) की देयता राशि भुगतान हेतु शेष ₹2695599/-

सहायक महाप्रबंधक हिमाचल भवन चंडीगढ़ द्वारा अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना ,तुलन पत्र (Balance Sheet) के अवलोकन पर पाया गया कि तुलनपत्र के देयता पक्ष में विविध लेनदारों (Sundry Creditors) की देयता निम्नविवरणानुसार ₹2695599 शेष थी।

क्रम संख्या	देयता का नाम	वित्तीय वर्ष			
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	विविध लेनदार Sundry Creditors	2439064	2542967	2751103	2695599

उपरोक्त उल्लेखित दिनांक 31.03.24 तक विविध लेनदारों की देयता राशि का भुगतान यथासमय न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 470 दिनांक 6.12.2024 के अंतर्गत सहायक महाप्रबंधक हिमाचल भवन चंडीगढ़ के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में सहायक महा प्रबन्धक हिमाचल भवन चंडीगढ़ के पत्र संख्या: CHB/Bank/2017-TDC-749 दिनांक 15.01.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि दिनांक 31.03.24 तक उक्त लेनदारों की भुगतान हेतु शेष राशि में से ₹1411374 की राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भुगतान कर दी गई है व शेष ₹1284225 राशि गत पांच वर्षों से अदत्त है जिसको बट्टे खाते (write off) डालने हेतु मुख्यालय से पत्राचार किया जा रहा है। उत्तर संतोषजनक नहीं है ,क्योंकि उक्त देनदारियों का भुगतान यथासमय नहीं किया गया था। अतः उक्त विविध लेनदारों की देयता को यथासमय भुगतान न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त देयता के भुगतान हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है, से भी इस विभाग को अवगत करवाया जाए व भविष्य में उधार क्रय (Credit purchase) करने पर निश्चित तौर पर परिहार किया जाए।

14 विविध देनदारों (Sundry Debtors) से वसूली न करना ₹520435/:-

सहायक महाप्रबंधक हिमाचल भवन चंडीगढ़ द्वारा अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना, तुलन पत्र (Balance Sheet) के अवलोकन पर पाया गया कि तुलन पत्र के सम्पत्ति पक्ष में विविध देनदारों (Sundry Debtors) से अवधि 1.04.2020 से 31.03.2023 तक निम्न विवरणानुसार ₹520435 वसूली हेतु शेष थी।

क्रम संख्या	देयता का नाम	वित्तीय वर्ष			
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	विविध देनदार (Sundry Debtors)	306428	425242	491651	520435

उपरोक्त उल्लेखित दिनांक 31.03.24 तक विविध देनदारों से वसूली न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 471 दिनांक 6.12.2024 के अंतर्गत सहायक महाप्रबंधक हिमाचल भवन चंडीगढ़ के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में सहायक महा प्रबन्धक हिमाचल भवन चंडीगढ़ के पत्र संख्या: CHB/Bank/2017-TDC-749 दिनांक 15.01.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि दिनांक 31.03.24 तक उपरोक्त विविध देनदारों से ₹289696 की राशि वित्तीय राशि 2024-25 के दौरान वसूली कर ली गई है व विविध देनदारों (Sundry Debtors) से शेष राशि ₹230739 हेतु कोर्ट केस चले हैं। अतः माननीय कोर्ट के आदेशानुसार वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए व भविष्य में उधार विक्री (Credit sale) करने पर निश्चित तौर पर परिहार किया जाए।

15 श्री अशोक ठाकुर व ट्रेंड्ज़ (Trendz) से ₹186700/- की वसूली न करना :-

सहायक महाप्रबंधक हिमाचल भवन चंडीगढ़ द्वारा अंकेक्षण को कोर्ट केसों से सम्बन्धित प्रदान की गई सूचना के सन्दर्भ में निम्नलिखित सूचना व अभिलेख अंकेक्षण अधियाचना संख्या– 468 दिनांक 6.12.2024 के अंतर्गत सहायक महाप्रबंधक हिमाचल भवन चंडीगढ़ से मांगी गई।

(i) श्री अशोक ठाकुर से कोर्ट के आदेश के अनुसार दुकान का कब्ज़ा ले लिया गया है व ₹160000 की वसूली अभी शेष है। अतः श्री अशोक ठाकुर से ली गई दुकान से सम्बन्धित कोर्ट के आदेश की प्रति व उक्त व्यक्ति से ₹160000 की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ii) ट्रेंड्ज़ (Trendz) से कोर्ट के आदेश के अनुसार कब्ज़ा ले लिया गया है व ₹26700 की वसूली अभी शेष है। अतः ट्रेंड्ज़ (Trendz) से सम्बन्धित कोर्ट के आदेश की प्रति, उक्त फर्म से किस सम्पत्ति का कब्ज़ा लिया गया है व उक्त फर्म से ₹26700 की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

जिसके प्रतियुत्तर में सहायक महा प्रबन्धक हिमाचल भवन चंडीगढ़ के पत्र संख्या: CHB/Bank/ 2017-TDC-749 दिनांक 15.01.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि माननीय कोर्ट के आदेशानुसार दुकान का कब्जा लेने व वसूली हेतु शेष राशि अदा करने की संबधित फर्म से मांग की गई, लेकिन संबधित फर्म वसूली हेतु शेष राशि अदा करने में असमर्थ रही व सम्पूर्ण प्रकरण हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम मुख्यालय को प्रेषित कर दिया गया। अतः उक्त वसूली हेतु शेष राशि की वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के रूप में अधिक एवं गलत भुगतान ₹26513/-

अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के दौरान चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के रूप में किए गये भुगतानों के बिल/ वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि हिमाचल भवन चंडीगढ़ में कार्यरत्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को विभिन्न बिल/वाउचरों के अन्तर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का देय दरों की अपेक्षा अधिक दरों पर भुगतान करने के कारण निम्नलिखित विवरणानुसार ₹26513 अधिक एवं गलत भुगतान किया गया था।

क्रम संख्या	वाउचर संख्या/ दिनांक	रसीद संख्या / दिनांक	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	परीक्षण/ दवाई का विवरण	देय राशि (₹)	दी गई राशि (₹)	अधिक एवं गलत भुगतान (₹)
1	14/ 10.03.21	20081/ 17.07.20	श्री रोशन लाल, (COMMI-IV)	Inhibin-B	800	1800	1000

2	89/ 31.03.22	8140/ 7.01.22	श्री तिलक राज, (Assist. H.K.)	PSA	220	300	80
3	90/ 31.03.22	13821/ 9.08.21	श्री रोशन लाल, (COMMI-III)	LFT	80	110	30
				Scrub Typhus 1gm	250	1250	1000
4	36/ 18.03.24	22527/ 11.05.23	श्री अजय कुमार (COMMI-IV)	CT (Head) Plain	330	1000	670
		172257/ 9.10.23		Endoscopy	170	350	180
		151289681/ 10.08.23		CT whole abdomen	830	2000	1170
		2231586576/ 29.11.23		CT body	830	1125	295
5	12/ 10.03.21	7353/ 24.09.19	श्री कृष्ण चन्द (Utility Worker)	Calcifiller XT	0	189	189
6	16/ 16.03.21	8887/ 23.06.20	श्री संजय अग्रवाल (Sr. Assistant Accounts)	Maxical Plus	0	1440	1440
				Maxical Plus	0	1440	1440
7	17/ 10.03.21	10323/ 3.07.20	श्री कृष्ण चन्द (Utility Worker)	Cal/Gemium	0	768	768
				Cal-K2	0	897	897
8	28/ 15.03.21	048355/ 16.10.21	श्रीमती लक्ष्मी देवी (Utility worker)	Caleat TH	0	1071	1071
9	85/ 31.03.21	116552/ 16.12.21	श्री अनिल कपूर (DGM)	Ferost XT	0	121.50	121.50
				Shell Calcium	0	53.90	53.90

				Cipcal D3 Sachet	0	50.82	50.82
		122475/ 25.12.21		Ferost XT	0	99	99
				Cyraflora Cap	0	135	135
		124873/ 29.12.21		Cipcal D3 sachet	0	101.64	101.64
				Ferost XT	0	121.50	121.50
		130701/ 6.01.22		Cyraflora Cap	0	135	135
				Gluco one Strips BG 0350	0	600	600
		136481/ 7.01.22		Cyraflora Cap	0	141.75	141.75
				Ferost XT	0	61.74	61.74
				Shell Calcium	0	53.90	53.90
				Cipcal D3 sachet	0	101.64	101.64
10	94/ 31.03.22	12129/ 7.10.21	श्री संजय अग्रवाल (Sr. Assistant Accounts)	Maxical Plus	0	960	960
				Uprose D3	0	265	265
11	95/ 31.03.22	42321/ 18.10.21	श्रीमती बंदना शर्मा (Assist. Manager)	Rejunex-OD	0	357	357
		42864/ 18.11.21		Rejunex-OD	0	1611	1611
12	101/ 31.03.22	0001501/ 18.08.21	श्री बीर सिंह (Assist.	CCM Tab	0	1228.95	1228.95

		2248/ 18.09.21	Manager) (श्रीमती अनीता पत्नी)	CCM bottle	0	410	410
		0003535/ 30.10.21		CCM Tab	0	409.65	409.65
13	111/ 31.03.23	24422/ 23.05.22	श्री रोशन लाल (COMMI-IV) (श्रीमती रंजन पत्नी)	Calcon k27	0	621	621
14	117/ 31.03.23	0512/ 10.09.22	श्री बीर सिंह (Assist. Manager)	Silico K27	0	567	567
15	118/ 31.03.23	7178/ 13.12.22	श्रीमती लक्ष्मी देवी (Utility worker)	Caldikind Plus	0	465	465
16	122/ 31.03.23	A015400 / 16.03.23	श्री बीर सिंह (Assist. Manager)	Silico K27	0	675	675
17	20/ 24.03.24	86976/ 16.12.23	श्री हर्ष भानू (AAE)(E)	Calogic-CT Tab	0	221	221
18	27/ 18.03.24	706/ 7.07.23	श्री कुलदीप सिंह (Assistant Waitor)	Calboss Gold	0	750	750
19	35/ 18.03.24	A007789 / 9.08.23	श्री बीर सिंह (Assist. Manager)	Silico K27	0	675	675
		A010126 / 15.09.23		Silico K27	0	675	675
		A012688 / 26.10.23		Silico K27	0	675	675

		A016639 / 22.12.23		Silico K27	0	675	675
		A016916 / 26.12.23	श्री बीर सिंह (Assist. Manager) (श्रीमती अनीता पत्नी)	CCM Tab	0	545	545
20	109/ 31.03.24	A019907 / 9.02.24	श्री बीर सिंह (Assist. Manager)	Silico K27	0	675	675
		A019908 / 9.02.24	श्री बीर सिंह (Assist. Manager) (श्रीमती अनीता पत्नी)	Calive K2-7	0	555	555
				D Gain Nano	0	576	576
21	119/ 31.03.24	11411/ 26.04.23	श्री प्रताप सिंह (Utility worker)	Cynocal-16	0	69.84	69.84
				Neurobin forte	0	34.30	34.30
				Nurokind LL	0	809.50	809.50
				योग	**3510**	**30022.63**	**26512.63**

उक्त अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 508 दिनांक 16.01.25 के अंतर्गत सहायक महाप्रबंधक हिमाचल भवन चंडीगढ़ के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में सहायक महा प्रबन्धक हिमाचल भवन चंडीगढ़ के पत्र संख्या: CHB/Bank/2017-TDC-7450 दिनांक 17.01.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि प्रयोगशाला परीक्षण व दवाईयां पी० जी० आई० चंडीगढ़ के अनुरूप दी गई है उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा निर्धारित देय प्रयोगशाला परीक्षणों दरों की जगह अधिक दरों पर भुगतान किया गया था। अतः उपरोक्त उल्लेखित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के रूप में किए

गए अधिक एवं गलत भुगतान ₹26513 को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली सम्बन्धित अधिकारियों/ कर्मचारियों अथवा अधिक भुगतान करने हेतु उतरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए|

17 कालातीत चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का गलत भुगतान ₹47290|:-

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 175 के अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की वैधता अवधि 90 दिन है। लेकिन अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के दौरान चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के अवलोकन पर पाया गया कि हिमाचल भवन चंडीगढ़ में कार्यरत्त अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 175 के अनुसार निर्धारित समय सीमा 90 दिन के भीतर जमा नहीं करवाया गया था व कालातीत चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे होने के बावजूद, उनका भुगतान किया गया था। जोकि अत्यन्त आपत्तिजनक होने के साथ हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 175 की गम्भीर अवहेलना है । कालातीत होने के बावजूद भुगतान किए गये चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का विवरण निम्न प्रकार से है ।

क्रम संख्या	वाउचर संख्या/ दिनांक	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा राशि (₹)	परीक्षण / हस्पताल से छुट्टी होने की तिथि	चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा जमा करवाने की नियत तिथि	जिस तिथि को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा जमा करवाया गया	जितने दिन देरी से जमा करवाया गया
1	13/ 10.03.21	श्री देई राम (COMMI-IV)	16657	25.01.20 से 16.09.20	15.12.20	10.03.21 (जमा करवाने की तिथि उल्लेखित नहीं)	85 दिन
2	16/ 10.03.21	श्री संजय अग्रवाल (Sr. Assistant Accounts)	4592	23.06.20	21.09.20	12.01.21	113 दिन
3	85/ 31.03.22	श्री अनिल कुमार (DGM)	3060	16.12.21 से 17.12.21	17.04.22	5.05.22	18 दिन
4	90/ 31.03.22	श्री रोशन लाल (COMMI-III)	2383	29.08.21	27.11.21	10.12.21	13 दिन
5	35/ 18.03.24		4667	9.08.23	7.11.23	15.03.24	129 दिन
			3807	15.09.23	14.12.23	15.03.24	92 दिन

		श्री बीर सिंह (Assistant Manager)	3929	26.10.23	24.01.24	15.03.24	51 दिन
6	36/ 18.03.24	श्री अजय कुमार (COMMI-IV)	1130	11.05.23	9.08.23	18.03.24 (जमा करवाने की तिथि उल्लेखित नहीं)	312 दिन
			523	16.08.23	14.11.23	24.01.24	71 दिन
			5060	8.08.23	6.11.23	13.01.23	68 दिन
			1482	4.09.23	3.12.23	13.01.23	41 दिन
		योग	**47290**				

उक्त अनियमित एवं गलत भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 509 दिनांक 16.01.25 के अंतर्गत सहायक महाप्रबंधक हिमाचल भवन चंडीगढ़ के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में सहायक महा प्रबन्धक हिमाचल भवन चंडीगढ़ के पत्र संख्या: CHB/Bank/2017-TDC-7450 दिनांक 17.01.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल तीन माह के भीतर ही जमा करवाए गये थे, लेकिन गलती से मार्क करने से छूट गये थे। उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों पर कार्यालय में जमा करवाने की तिथि उल्लेखित की गई थी। अतः हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 175 के अनुसार निर्धारित समय सीमा 90 दिन के भीतर चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को जमा न करवाकर कालातीत चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के रूप में किए गये गलत भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया अन्यथा उक्त गलत भुगतान की वसूली सम्बन्धित अधिकारियों/ कर्मचारियों अथवा गलत भुगतान करने हेतु उतरदायी अधिकारी/ कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए|

18 हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मनोनीत/ सूचीबद्ध न होने के बावजूद निजी अस्पताल के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का गलत एवं अनियमित भुगतान ₹6658/-

हिमाचल प्रदेश सरकार के कमचारियों व पेंशनरों के ईलाज हेतु सरकार द्वारा सूचीबद्ध निजी अस्पताल पालिसी दिनांक 21.06.2008, संशोधित सूची दिनांक 21.01.2024 में उल्लेखित निजी अस्पतालों से ही ईलाज करवाया जा सकता है। लेकिन अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के दौरान चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के अवलोकन पर पाया गया कि हिमाचल भवन चंडीगढ़ में कार्यरत्त कर्मचारी श्री अजय कुमार (COMMI-IV) को सरकार द्वारा

सूचीबद्ध अस्पताल से ईलाज न करवाकर अन्य चैरिटेबल निजी अस्पताल से ईलाज करवाने के बावजूद चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के रूप में ₹6658 का अनियमित एवं गलत भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

क्रम संख्या	वाउचर संख्या/ दिनांक	ईलाज करवाने तिथि	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा राशि (₹)	जिस हस्पताल से ईलाज करवाया गया
1	36/ 18.03.24	3.09.23	श्री अजय कुमार (COMMI-IV)	5060	Charitable Diagonestic Centre NH-1, M.D.C.-4, Market Panchkula
2	120/ 31.03.24	21.11.23	श्री अजय कुमार (COMMI-IV)	1598	Charitable Diagonestic Centre NH-1, M.D.C.-4, Market Panchkula
			योग	**6658**	

उक्त अनियमित एवं गलत भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 510 दिनांक 16.01.25 के अंतर्गत सहायक महाप्रबंधक हिमाचल भवन चंडीगढ़ के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में सहायक महा प्रबन्धक हिमाचल भवन चंडीगढ़ के पत्र संख्या: CHB/Bank/2017-TDC-7450 दिनांक 17.01.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि चैरिटेबल हॉस्पिटल बिना लाभ हानि के आधार पर चलाए जाते है व चैरिटेबल अस्पताल निजी अस्पताल नहीं हैं। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि चैरिटेबल अस्पताल पंचकूला सूचीबद्ध निजी अस्पताल पालिसी दिनांक 21.06.2008 संशोधित सूची दिनांक 21.01.2024 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मनोनीत /सूचीबद्ध नहीं है। अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सूचीबद्ध अस्पताल की जगह अन्य निजी अस्पताल से ईलाज करवाकर चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का गलत एवं अनियमित भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त गलत एवं अनियमित भुगतान की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी अथवा अनियमित भुगतान करने हेतु उतरदायी अधिकारी/ कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए|

19 स्टॉक रजिस्टर में क्रय समान की स्टॉक प्रविष्टियाँ व खपत/जारी करने से सम्बन्धित दर्ज न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हिमाचल भवन चंडीगढ़ में विभिन्न बिल/ वाउचरों के अंतर्गत क्रय किए गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियाँ दर्ज न करके सामान का दुरूपयोग किया गया था। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

(i) (क) जलपान गृह में खान-पान हेतु क्रय किए गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियाँ दर्ज न होना :-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या/ दिनांक	बिल संख्या/ दिनांक	फर्म का नाम एवं पत्ता	क्रय सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य (₹)
1	5/ 8.03.21	69/ 2.03.21	सब्जी मंडी से नकद क्रय	संतरा	1 किलो ग्राम	20	20
				केला	6	5	30
				अमरुद	1 किलो ग्राम	30	30
				पपीता	700 ग्राम	40	28
				भिन्डी	500 ग्राम	80	40
2	51/ 23.03.23	76/ 16.03.21	सब्जी मंडी से नकद क्रय	निम्बू	5 किलो ग्राम	110	550
3	86/ 31.03.21	5461/ 1.03.21	मै० अमी लाल सत्या भगवान	इमली सीडलेस	1 किलो ग्राम	160	160
		5461/ 1.03.21	एस० एफ० सी० – 56, दाना मार्किट चंडीगढ़	देगी मिर्च	20 पीस	44	880
				कॉफ़ी नेस कैफे	1 पीस (200 ग्राम)	390	390
4	6/ 5.03.22	155/ 5.03.22	सब्जी मंडी से नकद क्रय	टमाटर	10 किलो ग्राम	14	140
				हरी मिर्च	½ किलो ग्राम	100	50
5	19/ 17.03.22	158/ 17.03.22	सब्जी मंडी से नकद क्रय	आलू	60 किलो ग्राम	8	480
				सेब	½ किलो ग्राम	120	60

				संतरा	½ किलो ग्राम	60	30
				अमरुद	½ किलो ग्राम	60	30
				पपीता	800 ग्राम	50	40
6	49/ 31.03.22	9312/ 4.03.22	मै० अमी लाल सत्या भगवान एस० एफ० सी० – 56, दाना मार्किट चंडीगढ़	पोहा	8 पैकेट	32	256
7	49/ 31.03.22	80938/ 7.03.22	एम. सी. फूड प्राइवेट लिमिटेड बगवा पुराना रोड मोगा पंजाब	दहीं	5 किलो ग्राम (1 पीस)	290	290
		82211/ 12.03.22		दहीं	5 किलो ग्राम (1 पीस)	290	290
8	16/ 15.03.23	170/ 12.02.23	सब्जी मंडी से नकद क्रय	आलू	12 किलो ग्राम	13	156
9	77/ 31.03.23	11210/ 3.03.23	मै० अमी लाल सत्या भगवान एस० एफ० सी० – 56, दाना मार्किट चंडीगढ़	काली मिर्च	250 ग्राम	680/ प्रति किलोग्राम	170
				टमाटर सौस	36 बोतल	69	2484
		5242/ 13.03.23	कौल फार्म चंडीगढ़ पिपली वाला	चिकन	12 किलो ग्राम	250	3000

			टाउन मनीमाजरा				
10	2/ 27.02.24	167/ 27.02.24	सब्जी मंडी से नकद क्रय	मूली	10 किलो ग्राम	10	100
				बीन्स	1 किलो ग्राम	50	50
				पालक	10 किलो ग्राम	10	100
11	60/ 30.03.24	189/ 23.03.24	सब्जी मंडी से नकद क्रय	मूली	5 किलो ग्राम	20	100
12	61/ 30.03.24	184/ 31.03.24	सब्जी मंडी से नकद क्रय	संतरा	500 ग्राम	100	50
				केला	4 पीस	8	32
				सेब	500 ग्राम	200	100
				अमरुद	2 किलो ग्राम	50	100
				पपीता	1 किलो ग्राम	50	50
						योग	10286

(ख) जलपान गृह में खान-पान हेतु क्रय राशन रजिस्टर में वास्तविक योग की जगह कम योग दर्ज करके दुरूपयोग :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि जलपान गृह में खान-पान हेतु राशन रजिस्टर में क्रय राशन के वास्तविक योग की जगह कम योग दर्ज करके राशन का दुरूपयोग किया गया था। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

क्रम संख्या	दिनांक	स्टॉक रजिस्टर पेज संख्या	मद का नाम	आरंभिक शेष	प्राप्ति	वास्तविक योग	दर्ज किया गया योग	कम दर्ज मात्रा
1	5.03.24	93	दाल (माह, मूंगी, मलका, हरहर इत्यादि	26 किलो ग्राम	100 किलो ग्राम	126 किलो ग्राम	111 किलो ग्राम	15 किलो ग्राम

क्रम संख्या	दिनांक	स्टॉक र० पेज संख्या	मद का नाम	आरंभिक शेष	प्राप्ति	योग	जारी की गई मात्रा	वास्तविक शेष	दर्ज शेष	कम दर्ज मात्रा
2	5.03.24	214	टमाटर सौस	32 बोतल	36 बोतल	68 बोतल	44 बोतल	24 बोतल	12 बोतल	12 बोतल

(ii) हाउस कीपिंग हेतु क्रय किए गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियाँ दर्ज न होना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार हाउस कीपिंग हेतु क्रय किए गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियाँ दर्ज नहीं थी । जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

क्रम संख्या	वाउचर संख्या/ दिनांक	बिल संख्या/ दिनांक	फर्म का नाम एवं पत्ता	क्रय सामान का विवरण	मात्रा	दर (₹)	मूल्य (₹)
1	27/ 15.03.21	0085497/ 31.01.21	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम शिमला	हाई वाल गिलास	10 दर्जन	185	1850
2	81/ 31.01.21	उल्लेखित नहीं	उल्लेखित नहीं	होली रंग	-	-	150
						योग	**2000**

(iii) स्टेशनरी हेतु क्रय किए गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियाँ दर्ज न होना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार स्टेशनरी हेतु क्रय किए गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियाँ दर्ज नहीं थी। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है ।

क्रम संख्या	वाउचर संख्या/ दिनांक	बिल संख्या/ दिनांक	फर्म का नाम एवं पत्ता	क्रय सामान का विवरण	मात्रा	दर (₹)	मूल्य (₹)
1	82/ 31.01.21	7933/ 8.02.21	प्रेम बुक डिपो एस० सी० ओ० 30 सी चंडीगढ़	हरा पेन	4	10	**40**
2		241/ 4.03.21	ग्राफ़िक्स विज़न एल आई जी - 1266-सी, एस ए एस मोहाली	विजिटिंग कार्ड	100 नंबर	180	180
				स्टैम्प्स	4 नंबर	80	320
						योग	**540**
3		20878/ 3.03.21	वी. के. ट्रेडर्स एस सी ओ – 153 सेक्टर 28-डी चंडीगढ़	बाल पेन	20	10	**200**
4	88/ 31.03.21	244/ 20.03.21	वी के इंटरप्राइजेज एस सी ओ -9 सी सेक्टर 46 सी चंडीगढ़	रूल्ड रजिस्टर	10	45	450
				फाइल कवर	10	15.80	158
				पेपर ए4	10	145	1450
				पेपर रोल	50	43	2150
					वस्तु एवं सेवा कर		643.44
						योग	**4851.44**
						भुगतान	**4851**
क्रम संख्या (1) से (4) तक का कुल योग (40+540+200+4851)							**5591**

उपरोक्त उल्लेखित स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्रविष्टियाँ दर्ज न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 519 दिनांक 23.01.25 को सहायक महा प्रबंधक हिमचल भवन चंडीगढ़ के ध्यानार्थ लाया गया, लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुत्तर नहीं दिया गया। अतः उपरोक्त क्रम संख्या (i) से (iii) पर उल्लेखित क्रय किए गये अस्थाई सामान की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्रविष्टियाँ व खपत/जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। सामान के किसी भी दुरूपयोग की अवस्था में सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बन्धित उतरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

20 अन्य:-

(क) बैंक समाधान विवरणियां आधी-अधूरी तैयार करना :-

सहायक महाप्रबंधक हिमाचल भवन चंडीगढ़ द्वारा अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना दिनांक 31.03.24 के तुलन पत्र के साथ सलंग्न की गई बैंक समाधान विवरणियां आधी-अधूरी तैयार की गई है। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

(1) **स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया चंडीगढ़ बैंक खाता संख्या- 42571337544** :-

(i) बैंक में जमा करवाई गई राशि जिसका क्रेडिट बैंक द्वारा प्रदान नहीं किया गया (Amount Deposited into bank but not credited by bank) :-

विवरण	दिनांक	राशि (₹)	बैंक द्वारा क्रेडिट प्रदान करने की तिथि
उल्लेखित नहीं	30.03.24	15000	उल्लेखित नहीं
Income receivable out of 21,85 (Detail of amount is not given prpoerly)	18.03.24	5000	उल्लेखित नहीं
Income receivable (Detail is not given)	30.03.24	112814	उल्लेखित नहीं
	योग	**132814**	

(ii) बैंक में जमा करवाई गई राशि जिसका लेखांकन बही खातों में नहीं किया गया

(Amount Deposited into bank but not debited/entered into books) :-

विवरण	**दिनांक**	**राशि (₹)**	**बही खातों में दर्ज करने की तिथि**	**टिप्पणी**
Cash deposit	उल्लेखित नहीं	180	उल्लेखित नहीं	दिनांक उल्लेखित न होना
Capital Treasury	28.03.24	19264	उल्लेखित नहीं	राजकीय कोष का स्थान उल्लेखित न होना
Excess in Bank	उल्लेखित नहीं	80.40	उल्लेखित नहीं	दिनांक व वास्तविक राशि की जगह कितनी राशि अधिक जमा करवाई गई का विवरण उल्लेखित न होना
Unidentify	उल्लेखित नहीं	12126	उल्लेखित नहीं	दिनांक व राशि का विवरण उल्लेखित न होना
	योग	**31650.40**		

(iii) बैंक द्वारा डेबिट की गई राशि जिसका लेखांकन बही खातों में नहीं किया गया

(Amount debited by bank but not enteded into books) :-

विवरण	**दिनांक**	**राशि (₹)**	**बही खातों में दर्ज करने की तिथि**	**टिप्पणी**
उल्लेखित नहीं	उल्लेखित नहीं	3598	उल्लेखित नहीं	दिनांक व विवरण उल्लेखित न होना
Bank Charges	उल्लेखित नहीं	71	उल्लेखित नहीं	दिनांक उल्लेखित न होना
	योग	**3669**		

(2) स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया चंडीगढ़ बैंक खाता संख्या- 42498731543 **:-**

(i) चैक जारी किए गये लेकिन बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये (Cheque issued but not yet presented for paymet into bank):-

क्रम संख्या	दिनांक	चैक संख्या	राशि (₹)	बैंक द्वारा डेबिट करने की तिथि
1	283490	30.03.24	118000	उल्लेखित नहीं
2	283491	30.03.24	118000	उल्लेखित नहीं
3	283493	30.03.24	29972	उल्लेखित नहीं
4	283494	30.03.24	15808	उल्लेखित नहीं
5	283495	30.03.24	24740	उल्लेखित नहीं
6	283496	30.03.24	24389	उल्लेखित नहीं
		योग	**330909**	

(ii) बैंक में जमा करवाई गई राशि जिसका लेखांकन बही खातों में नहीं किया गया (Amount deposited into bank but not debited/entered into books)

क्रम संख्या	दिनांक	विवरण	राशि (₹)	बही खातों में दर्ज करने की तिथि
1	उल्लेखित नहीं	उल्लेखित नहीं	18	उल्लेखित नहीं

(3) इंडियन ओवरसीज बैंक चंडीगढ़ बैंक खाता संख्या- 113 :-

(i) चैक जारी किए गये लेकिन बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये (Cheque issued but not yet presented for paymet into bank):-

क्रम संख्या	दिनांक	चैक संख्या	राशि (₹)	बैंक द्वारा डेबिट करने की तिथि
1	105189	6.02.24	3000	उल्लेखित नहीं

(ii) बैंक में जमा करवाई गई राशि जिसका क्रेडिट बैंक द्वारा प्रदान नहीं किया गया

(Amount Deposited into bank but not credited by bank) :-

विवरण	दिनांक	राशि (₹)	बैंक द्वारा क्रेडिट प्रदान करने की तिथि
उल्लेखित नहीं	31.03.23	2631	उल्लेखित नहीं
उल्लेखित नहीं	31.03.23	289.99	उल्लेखित नहीं
Out of 11925 dated 24.06.23	24.06.23	1334	उल्लेखित नहीं
उल्लेखित नहीं	29.11.23	2903	उल्लेखित नहीं
Income receivable	11.12.23	5665	उल्लेखित नहीं
उल्लेखित नहीं	उल्लेखित नहीं	18280	उल्लेखित नहीं
	योग	**31102.99**	

(iii) बैंक में जमा करवाई गई राशि जिसका लेखांकन बही खातों में नहीं किया गया

(Amount deposited into bank but not debited/ entered into books):-

क्रम संख्या	दिनांक	विवरण	राशि(₹)	बही खातों में दर्ज करने की तिथि	टिप्पणी
1	उल्लेखित नहीं	NEFT-SBIIN-SBIIN 323115375562-CONVERSE P-/ATTN//INB	2436	उल्लेखित नहीं	दिनांक उल्लेखित न होना
2	2.05.23	BY CLG 000002:1848	48000	उल्लेखित नहीं	-
3	उल्लेखित नहीं	उल्लेखित नहीं	1000	उल्लेखित नहीं	दिनांक व विवरण उल्लेखित न होना
4	8.09.23	EXCESS DEPOSIT IN CREDIT CARD	6556.78	उल्लेखित नहीं	वास्तविक राशि से अधिक जमा

					करवाई गई राशि का उल्लेख न होना
5	11.09.23	EXCESS DEPOSIT IN CREDIT CARD	19479	उल्लेखित नहीं	वास्तविक राशि से अधिक जमा करवाई गई राशि का उल्लेख न होना
6	उल्लेखित नहीं	उल्लेखित नहीं	0.55	उल्लेखित नहीं	दिनांक व विवरण उल्लेखित न होना
7	6.11.23	EXCESS DEPOSIT IN CREDIT CARD	1116	उल्लेखित नहीं	वास्तविक राशि से अधिक जमा करवाई गई राशि का उल्लेख न होना
8	14.11.23	EXCESS DEPOSIT IN CREDIT CARD	1483	उल्लेखित नहीं	वास्तविक राशि से अधिक जमा करवाई गई राशि का उल्लेख न होना
9	20.11.23	EXCESS DEPOSIT IN CREDIT CARD	5285	उल्लेखित नहीं	वास्तविक राशि से अधिक जमा करवाई गई राशि का उल्लेख न होना
10	उल्लेखित नहीं	उल्लेखित नहीं	0.05	उल्लेखित नहीं	दिनांक व विवरण उल्लेखित न होना
11	30.12.23	NEFT-UTIB-AXISP00457261288-SKILWORTH-SETT BP 912	1417	उल्लेखित नहीं	-
12	4.12.23	EXCESS DEPOSIT IN CREDIT CARD	787.66	उल्लेखित नहीं	वास्तविक राशि से अधिक जमा करवाई गई राशि का उल्लेख न होना
13	11.12.23	EXCESS DEPOSIT IN CREDIT CARD	8296.70	उल्लेखित नहीं	वास्तविक राशि से अधिक जमा करवाई गई राशि का उल्लेख न होना
14	उल्लेखित नहीं	EXCESS DEPOSIT IN CREDIT CARD	50	उल्लेखित नहीं	दिनांक व वास्तविक राशि से अधिक जमा करवाई गई

					राशि का उल्लेख न होना
15	3.01.24	EXCESS DEPOSIT IN CREDIT CARD	3140.37	उल्लेखित नहीं	वास्तविक राशि से अधिक जमा करवाई गई राशि का उल्लेख न होना
		योग	**99048.11**		

(iv) बैंक द्वारा डेबिट की गई राशि जिसको बही खातों में नहीं क्रेडिट नहीं किया गया

(Amount debited by bank but not credited/entered into books):-

क्रम संख्या	दिनांक	विवरण	राशि (₹)	बही खातों में दर्ज करने की तिथि	टिप्पणी
1	उल्लेखित नहीं	उल्लेखित नहीं	6478.73	उल्लेखित नहीं	दिनांक , विवरण व बही खातों में दर्ज करने की तिथि उल्लेखित न होना
2	उल्लेखित नहीं	उल्लेखित नहीं	6.18	उल्लेखित नहीं	दिनांक , विवरण व बही खातों में दर्ज करने की तिथि उल्लेखित न होना
3	उल्लेखित नहीं	उल्लेखित नहीं	118	उल्लेखित नहीं	दिनांक , विवरण व बही खातों में दर्ज करने की तिथि उल्लेखित न होना
4	उल्लेखित नहीं	उल्लेखित नहीं	180	उल्लेखित नहीं	दिनांक , विवरण व बही खातों में दर्ज करने की तिथि उल्लेखित न होना
		योग	**6782.91**		

उपरोक्त उल्लेखित बैंक समाधान विवरणी का आधा अधूरा तैयार करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 513 दिनांक 18.01.25 के अंतर्गत सहायक महा प्रबंधक हिमाचल भवन चड़ीगढ़ के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके जिसके प्रतियुत्तर में सहायक महा प्रबन्धक हिमाचल भवन चंडीगढ़ के पत्र संख्या: CHB/Bank/ 2017-TDC-753 दिनांक 22.01.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि दिनांक 31.03.24 को प्राप्त होने वाली आय को बुक कर दिया गया है व अन्तर की राशि माह 04/2024 में जमा हो गई है। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि बैंक समाधान विवरणी आधी अधूरी तैयार की गई थी। अतः बैंक समाधान विवरणियों को आधा-अधूरा तैयार करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व बैंक समाधान विवरणियों को विधिवत्त पूर्ण विवरण सहित तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) हस्तगत रोकड़ का पूर्ण विवरण उल्लेखित न होना ₹151985/-

अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना दिनांक 31.03.24 के तुलनपत्र के अवलोकन पर पाया गया कि तुलन पत्र के साथ सलंग्न प्रपत्र में दिनांक 31.03.24 को हस्तगत रोकड़ शीर्ष में निम्न विवरणानुसार ₹151985 दर्शाया गया था।

विवरण	राशि (₹)	विवरण जो उल्लेखित नहीं था
Balance amount of Cheque in hand	124683	चैक संख्या, दिनांक, बैंक का नाम, चैक प्रदान करने वाले का नाम, चैक को बैंक में जमा न करवाने का कारण व बैंक द्वारा क्रेडिट प्रदान करने की तिथि इत्यादि विवरण उल्लेखित न होना
Manager Front Office	27302	हस्तगत रोकड़ को जमा करवाने की तिथि उल्लेखित न करना
योग	**151985**	

उपरोक्त उल्लेखित प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 516 दिनांक 18.01.25 के अंतर्गत सहायक महा प्रबंधक हिमाचल भवन चड़ीगढ़ के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में सहायक महा प्रबन्धक हिमाचल भवन चंडीगढ़ के पत्र संख्या: CHB/Bank/

2017-TDC-753 दिनांक 22.01.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि दिनांक 31.03.24 की हस्तगत राशि को माह अप्रैल 2024 में जमा करवा दिया गया था। उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि हस्तगत राशि को जमा करवाने से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया व न ही उक्त सूचना अंकेक्षण दल को प्रदान की गई। अतः उक्त अभिलेख अंकेक्षण में प्रदान न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख / सूचना अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ग) राशि ₹1017/ का दुरूपयोग :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.03.23 को Multi column रोकड़ बही के अंतिम शेष ₹1704168.18 (रोकड़ ₹1017+ बैंक ₹1703151.18) की जगह दिनांक 1.04.23 को आरंभिक शेष बैंक ₹1703151.18 उठाने के कारण ₹1017 कम रोकड़ शेष दर्ज किया गया प्रतीत होता है। फलस्वरूप दिनांक 1.04.23 को आरंभिक शेष में रोकड़ शेष न उठाने के कारण ₹1017 का दुरूपयोग किया गया था। अतः दिनांक 31.03.23 के अंतिम शेष ₹1704168.18 की जगह कम शेष ₹1703151.18 दर्ज करके दुरूपयोग करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त दुरूपयोग की गई राशि की वसूली सम्बन्धित उतरदायी अधिकारी/ कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(घ) लौंडरी/ हाउस कीपिंग कपड़े धोने के रजिस्टर में दर्ज मात्रा की जगह अधिक मात्रा दर्शाकर अधिक एवं गलत भुगतान ₹5667/-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्या 54 दिनांक 30.03.24, बिल संख्या 470/23-24 दिनांक 1.03.24 के अंतर्गत स्काई लाइट मैनपावर एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज डेरा परोल को कपड़े धोने के रूप में लौंडरी/ हाउस कीपिंग रजिस्टर में दर्ज मात्रा की जगह अधिक मात्रा दर्शाकर ₹5667 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया था। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

क्रम संख्या	मद का नाम	कपड़े धोने रजिस्टर में दर्ज मात्रा	बिल में दर्ज मात्रा	अधिक दर्ज मात्रा	दर (₹)	अधिक एवं गलत भुगतान

1	डबल बेड शीट	337	386	49	14.10	690.90
2	सिंगल बेड शीट	859	988	129	10.20	1315.80
3	पिल्लो कवर	801	906	105	5.35	561.75
4	बाथ टॉवल	1540	1778	238	10.15	2415.70
5	हैण्ड टॉवल	69	76	7	3.33	23.31
6	डबल क्विल्ट कवर	29	27	2	30.81	61.62
7	सिंगल क्विल्ट कवर	31	34	3	30.81	92.43
8	टेबल कवर	88	115	27	12.04	325.08
9	टेबल टॉप नैपकिन	79	101	22	7.30	160.60
10	नैपकिन	12	6	6	3.33	19.98
					योग	5667.17

अतः स्काई लाइट मैनपावर एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज डेरा परोल को कपड़े धोने के रूप में लौंडरी/ हाउस कीपिंग रजिस्टर में दर्ज मात्रा की जगह अधिक मात्रा दर्शाकर ₹5667 का अधिक एवं गल्त भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त अधिक एवं गल्त भुगतान की वसूली सम्बन्धित फर्म अथवा अधिक भुगतान करने हेतु उतरदायी अधिकारी/ कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही/ अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

22 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

23 **निष्कर्ष:-** लेखों के रख-रखाव में सुधार की आवश्कता है। इसके अतिरिक्त भविष्य में आय से अधिक व्यय करने पर निश्चित तौर पर अंकुश लगाया जाए।

(राज कुमार)
सहायक नियन्त्रक
हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला-9

(43)

परिशिष्ट-'क'

पैरा संख्या-4(क)(i) से सन्दर्भित

हिमाचल भवन चंडीगढ़ की अवधि 1.04.2020 से 31.03.2024 तक की वित्तीय स्थिति							
वित्तीय वर्ष	आरंभिक शेष	आय	हि० प्र० पर्यटन विकास निगम शिमला से हस्तांतरित राशि	ब्याज	योग	व्यय	अंतिम शेष
2020-21	692054.00	13639315.00	18855000.00	0.00	33186369.00	32385224.00	801145.00
2021-22	801145.00	25736930.00	11150000.00	0.00	37688075.00	37362776.18	325298.82
2022-23	325298.82	41058757.19	5770000.00	0.00	47154056.01	45449887.83	1704168.18
2023-24	1704168.18	47790463.21	18660489.00	0.00	68155120.39	67417123.00	737997.39

नोट:- दिनांक 1.04.2020 को आरंभिक शेष Multi Column रोकड़ बही के रोकड़ व बैंक कॉलम से ₹692054.00 (1017+691037) उठाया गया है I

दिनांक 31.03.2024 को Multi Column रोकड़ बही में दर्ज किए गये विभिन्न बैंकों के अनुसार अंतिम शेष:-			
क्रम संख्या	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि
1	42571337544	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, सेक्टर -7 सी चंडीगढ़	104832.60
2	42498731543	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, सेक्टर -7 सी चंडीगढ़	696310
3	113	इंडियन ओवरसीज बैंक, सेक्टर 28 – बी, चंडीगढ़	-64162.21
		योग	**736980.39**
जमा :-	दिनांक 31.03.23 को Multi column रोकड़ बही के अंतिम शेष ₹1704168.18 (रोकड़ ₹1017+ बैंक ₹1703151.18) की जगह दिनांक 1.04.23 को आरंभिक शेष बैंक ₹1703151.18 उठाने के कारण कम शेष दर्ज करना		1017
दिनांक 31.03.24 को वित्तीय स्थिति के अनुसार अंतिम शेष			**737997.39**

RAJ KUMAR
Assistant Controller
H.P. State Audit Department
SHIMLA-9

48

Assistant General Manager
Himachal Bhawan, Sector 28-B
Chandigarh-160002.

दिनांक 31.03.2024 को बैंक खातों के अनुसार अंतिम शेष:-				
क्रम संख्या	खाता संख्या	बैंक का नाम	खाता का प्रकार	राशि
1	42571337544	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, सेक्टर -7 सी चंडीगढ़	चालू खाता	0
2	42498731543	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, सेक्टर -7 सी चंडीगढ़	चालू खाता	1027237
3	184802000000113	इंडियन ओवरसीज बैंक सेक्टर-28-बी चड़ीगढ़ (दिनांक 31.03.24 को खाता बन्द कर दिया गया है)	चालू खाता	0
हस्तगत रोकड़ (दिनांक 31.03.24 के तुलनपत्र अनुसार)				151985
योग				**1179222**

RAJ KUMAR
Assistant Controller
H.P. State Audit Department
SHIMLA-9

Assistant General Manager
Himachal Bhawan, Sector 28-B
Chandigarh-160002.

पैरा संख्या - 4(ख) से सम्बन्धित

परिशिष्ट - 'ख'

Financial yearwise income and expenditure statement and statement of financial deficit in r/o Himachal Bhawan Chandigarh for the period 1.04.2020 to 31.03.2024							
Financial Year	Opening Balance (Loss)	Income from own sources	Income from Grant in aid	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance (Net Loss)
2020-21	-23878444.24	12874731	33069000	37488	22102774.76	39462565.33	-17359790.57
2021-22	-17359790.57	26266367	0	17158	8923734.43	44820869.55	-35897135.12
2022-23	-35897135.12	40003969	17418000	0	21524833.88	56663379.67	-35138545.79
2023-24	-35138545.79	45404892	5000000	71763	15338109.21	57589964.82	-42251855.61

RAJ KUMAR
Assistant Controller
H.P. State Audit Department
SHIMLA-9

50

Assistant General Manager
Himachal Bhawan, Sector 28-B
Chandigarh-160002.

HIMACHAL BHAWAN CHANDIGARH
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2024

LIABILITIES		AMOUNT (Rs.)	ASSETS		AMOUNT (Rs.)
HEAD OFFICE/INTERUNIT		**31,452,816.00**	**FIXED ASSETS** (AS per Sch.I attached)		**1,755,497.00**
CURRENT LIABILITIES			**CURRENT ASSETS**		
Advance from customer	295,958.00		Loan & Advances	75,138.00	
Sundry Creditors	2695599.00		Closing Stock	86,886.00	
Expenses Payable	242,349.00		Sundry Debtors	520,435.00	
Statutory Liabilities	182,224.00		Cash in Hand	151,985.00	
Grant for renovation	500,000.00		Staff welfare fund Receivable	50,000.00	
Hall Advance	464,065.00		Bank accounts	732,271.39	
Security refundable	313,219.00		Prepaid Expenses	103,897.00	
Due To Employees	11,095,537.00		Security Deposit	497,732.00	
Covid relief fund			TDS	1,016,070.00	
		15,788,951.00			**3,234,414.39**
			Profit & Loss Account		
			OPENING BALANCE	35,897,135.12	
			Loss for the year	7,113,309.82	
			Profit for the Previous year	(758,589.33)	
			after Grant in Aid from HP Govt	42,251,855.61	42,251,855.61
TOTAL		47,241,767.00			47,241,767.00

Auditor's Report
As per our seprarate audit report of even date
For V. N Kapoor and Assiciates
Chartered Accountant

V.N Kapoor

FRN: 0012886N
UDIN:-
Place- Chandigarh
Date:- 24-09-2024

Assistant General Manager
Himachal Bhawan, Sector 28-B
Chandigarh-160002.

51

For Himachal Bhawan

For HIMACHAL BHAWAN
Deputy General Manager
Authorised Signatory

2274

47

HIMACHAL BHAWAN,CHANDIGARH

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

For the year ending on 31-03-2024

EXPENDITURE	Current Year 2023-24	INCOME	Current Year 2023-24
Provision Expenses	3558832.00	Income Canteen	8199218.00
Cold Drink Expenses	230415.00	Income Cold Drink	347388.00
Fuel Expenses	1005888.00	Income Rent	36122896.00
Staff Meal Exp.	1395655.00	Income Staff Quarter	8112.00
Telephone Expenses	93614.00	Income Misc.	32159.00
House Keeping Exp.	163754.00	Income Other	392397.00
Water & Electricity	3173625.00	Income for Staff Meal	374,485.00
Washing Exp.	448095.00	Grant in Aid	5,000,000.00
Pay Allowances	23613020.00	from HP Govt	
Admn Charges	145625.60		
Corp. Share of CPF	2778239.00		
Medical Exp.	166064.00		
Leave encashment	1744105.00		
T.A. Expenses	10953.00		
Outsource Expenses	7731539.00		
Uniform & Livery	6590.00		
Staff Welfare Exp.	44504.00		
Gratuity Provided	2498362.00		
Bonus Provided for the period	7000.00		
Interest on leave Encashment			
Repair & Maintenance Building	155195.00		
Repair & Maintenance Furniture			
Other Repair	1388352.00		
Repair Vehicle	21859.00		
POL Staff Vehicle	68557.00		
Insurance Vehicle	18963.00		
Fine & penalty	0.00		
Bank Charges	72721.78		
Gardening Exp.	4140.00		
Travel agent Comm.	585.00		
Postage & Telegram	2806.00		
Printing & Stationery	99363.00		
News Paper	26132.00		
Misc. Expenses	528621.44		
Corp. Officer Exp.	116971.00		
Director Exp	42288.00		
Rent Rates & Taxes	172726.00		
Discount / Comm.	3932750.00		
Audit Exp.	35039.00		
Depreciation	256646.00		
Generator Exp.	141557.00		
VAT ARREAR	1358991.00		
Misc. Expenses (hk)	197822.00		
Freight			
Legal & Propession	132000.00		
Profit after Grant in aid	-7113309.82		
from HP Govt			
	50,476,655.00		50,476,655.00

Auditor's Report

As per our seprarate audit report of even date

For V. N Kapoor and Assiciates

Chartered Accountant

For Himachal Bhawan

Assistant General Manager
Himachal Bhawan, Sector 28-B
Chandigarh-160002.

For HIMACHAL BHAWAN

Deputy General Manager

Authorised Signatory

V.N Kapoor

Partner

FRN: 0012886N

UDIN:-

Place- Chandigarh

Date:- 24-09-2024

HIMACHAL BHAWAN CHANDIGARH
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2024

LIABILITIES		AMOUNT (Rs.)	ASSETS		AMOUNT (Rs.)
HEAD OFFICE/INTERUNIT		**31,452,816.00**	**FIXED ASSETS**		
			(AS per Sch.I attached)		**1,755,497.00**
CURRENT LIABILITIES			**CURRENT ASSETS**		
Advance from customer	295,958.00		Loan & Advances	75,138.00	
Sundry Creditors	2695599.00		Closing Stock	86,886.00	
Expenses Payable	242,349.00		Sundry Debtors	520,435.00	
Statutory Liabilities	182,224.00		Cash in Hand	151,985.00	
Grant for renovation	500,000.00		Staff welfare fund Receivable	50,000.00	
Hall Advance	464,065.00		Bank accounts	732,271.39	
Security refundable	313,219.00		Prepaid Expenses	103,897.00	
Due To Employees	11,095,537.00		Security Deposit	497,732.00	
			TDS	1,016,070.00	
		15,788,951.00			**3,234,414.39**
			Profit & Loss Account		
			OPENING BALANCE	35,138,545.79	
			Loss for the year	7,113,309.82	
			after Grant in Aid from HP Govt	42,251,855.61	42,251,855.61
TOTAL		**47,241,767.00**			**47,241,767.00**

Auditor's Report
As per our separate audit report of even date
For V. N Kapoor and Associates
Chartered Accountant

V. N KAPOOR & ASSOCIATES ★ NEW DELHI ★ CHARTERED ACCOUNTANTS

V.N Kapoor

FRN: 0012886N
UDIN:- 24089674BKHKVO7272
Place- Chandigarh
Date:- 24-09-2024

Assistant General Manager
Himachal Bhawan, Sector 28-B
Chandigarh-160002.

53

For Himachal Bhawan

Deputy General Manager
Dy. General Manager
Himachal Bhawan
Plot No. 4, Sec. 28-B,
Chandigarh

226

HIMACHAL BHAWAN,CHANDIGARH

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

For the year ending on 31-03-2024

EXPENDITURE	Current Year 2023-24	INCOME	Current Year 2023-24
Provision Expenses	3558832.00	Income Canteen	8199218.00
Cold Drink Expenses	230415.00	Income Cold Drink	347388.00
Fuel Expenses	1005888.00	Income Rent	36122896.00
Staff Meal Exp.	1395655.00	Income Staff Quarter	8112.00
Telephone Expenses	93614.00	Income Misc.	32159.00
House Keeping Exp.	163754.00	Income Other	392397.00
Water & Electricity	3173625.00	Income for Staff Meal	374,485.00
Washing Exp.	448095.00	Grant in Aid	5,000,000.00
Pay Allowances	23613020.00	Profit after Grant in aid	7113309.82
Admn Charges	145625.60	from HP Govt	
Corp. Share of CPF	2778239.00		
Medical Exp.	166064.00		
Leave encashment	1744105.00		
T.A. Expenses	10953.00		
Outsource Expenses	7731539.00		
Uniform & Livery	6590.00		
Staff Welfare Exp.	44504.00		
Gratuity Provided	2498362.00		
Bonus Provided for the period	7000.00		
Repair & Maintenance Building	155195.00		
Other Repair	1388352.00		
Repair Vehicle	21859.00		
POL Staff Vehicle	68557.00		
Insurance Vehicle	18963.00		
Fine & penalty	0.00		
Bank Charges	72721.78		
Gardening Exp.	4140.00		
Travel agent Comm.	585.00		
Postage & Telegram	2806.00		
Printing & Stationery	99363.00		
News Paper	26132.00		
Misc. Expenses	528621.44		
Corp. Officer Exp.	116971.00		
Director Exp	42288.00		
Rent Rates & Taxes	172726.00		
Discount / Comm.	3932750.00		
Audit Exp.	35039.00		
Depreciation	256646.00		
Generator Exp.	141557.00		
VAT ARREAR	1358991.00		
Misc. Expenses (hk)	197822.00		
Legal & Propession	132000.00		
	57,589,964.82		57,589,964.82

Auditor's Report

As per our seprarate audit report of even date

For V. N Kapoor and Associates
Chartered Accountant

V.N Kapoor
Partner
FRN: 0012886N
UDIN:- 24089674BKHKOZ7272
Place- Chandigarh
Date:- 24-09-2024

V.N. KAPOOR & ASSOCIATES ★ CHARTERED ACCOUNTANTS ★ NEW DELHI

S4

For Himachal Bhawan

Deputy General Manager

Dy. General Manager
Himachal Bhawan
Plot No. 4, Sec. 28-B,
Chandigarh

Assistant General Manager
Himachal Bhawan, Sector 28-B
Chandigarh-160002.